मध्यप्रदेश विधान सभा
(चतुर्दश)

विशेषाधिकार समिति

का

प्रथम प्रतिवेदन

डॉ. गौरीशंकर शेजवार, डॉ. नरोत्तम मिश्र, मंत्रीद्वय, मध्यप्रदेश शासन एवं श्री शंकरलाल तिवारी, सदस्य, म. प्र. विधान सभा द्वारा, श्री सत्यदेव कटारे, नेता प्रतिपक्ष एवं श्री बाला बच्चन, सदस्य, विधान सभा के विरुद्ध गमछा, कमंडल एवं घंटी सदन में लाने और पटल पर रखने के संबंध में दी गई विशेषाधिकार भंग की सूचना पर प्रतिवेदन.

(दिनांक 18 मार्च, 2016 को विधान सभा में प्रस्तुत)

भोपाल
शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय
2016

मध्यप्रदेश विधान सभा
(चतुर्दश)

विशेषाधिकार समिति

का

प्रथम प्रतिवेदन

डॉ. गौरीशंकर शेजवार, डॉ. नरोत्तम मिश्र, मंत्रीद्वय, मध्यप्रदेश शासन एवं
श्री शंकरलाल तिवारी, सदस्य, म. प्र. विधान सभा द्वारा,
श्री सत्यदेव कटारे, नेता प्रतिपक्ष एवं श्री बाला बच्चन, सदस्य, विधान सभा के विरुद्ध
गमछा, कमंडल एवं घंटी सदन में लाने और पटल पर रखने के संबंध में
दी गई विशेषाधिकार भंग की सूचना पर प्रतिवेदन.

(दिनांक 18 मार्च, 2016 को विधान सभा में प्रस्तुत)

विषय–सूची

क्रमांक (1)	विषय (2)	पृष्ठ संख्या (3)
1.	समिति का गठन	(दो)
2.	प्राक्कथन तथा प्रक्रिया	(तीन)
3.	प्रकरण के तथ्य	1
4.	पत्राचार एवं स्पष्टीकरणात्मक टीप	1–2
5.	समिति का निष्कर्ष एवं अनुशंसा	3–4
	परिशिष्ट :	
	1. प्रकरण के संबंध में सदन में माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा दी गई व्यवस्था। (परिशिष्ट – एक)	5
	2. तत्कालीन समिति के सदस्यों की सूची (परिशिष्ट – दो)	6
	3. डॉ. गौरीशंकर शेजवार, डॉ. नरोत्तम मिश्र, मंत्रीद्वय, मध्यप्रदेश शासन एवं श्री शंकरलाल तिवारी, सदस्य, म.प्र. विधान सभा से प्राप्त सूचनाएं (परिशिष्ट – तीन, चार एवं पांच)	7–13
	4. श्री सत्यदेव कटारे, नेता प्रतिपक्ष, म.प्र. विधान सभा से प्राप्त स्पष्टीकरण (परिशिष्ट – छह एवं सात)	14–17
	5. श्री बाला बच्चन, सदस्य, म.प्र. विधान सभा से प्राप्त स्पष्टीकरण (परिशिष्ट – आठ एवं नौ)	18–19

मध्यप्रदेश विधान सभा

विशेषाधिकार समिति का गठन

(वर्ष 2015–2016)

(गठन दिनांक 12 अगस्त, 2015)

सभापति :

1 श्री कैलाश चावला

सदस्य :

2. श्री रामनिवास रावत
3. श्री बाला बच्चन
4. श्री मुकेश नायक
5. श्री जयसिंह मरावी
6. श्री संजय पाठक
7. श्री संजय शर्मा
8. श्री सज्जन सिंह उइके
9. श्री कल्याण सिंह ठाकुर
10. श्री सूर्य प्रकाश मीना

विधान सभा सचिवालय :

1. श्री भगवानदेव ईसरानी	प्रमुख सचिव
2. श्री ए. पी. सिंह	सचिव
3. श्री पुनीत श्रीवास्तव	संचालक
4. श्री अनवारूददीन काज़ी	सहायक संदर्भ अधिकारी

प्राक्कथन तथा प्रक्रिया

मैं, कैलाश चावला, विशेषाधिकार समिति का सभापति, समिति द्वारा प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिये प्राधिकृत किये जाने पर चतुर्दश विधान सभा की विशेषाधिकार समिति का प्रथम प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

डॉ. गौरीशंकर शेजवार, डॉ. नरोत्तम मिश्र, मंत्रीद्वय, मध्यप्रदेश शासन एवं श्री शंकरलाल तिवारी, सदस्य, म.प्र. विधान सभा द्वारा श्री सत्यदेव कटारे, नेता प्रतिपक्ष एवं श्री बाला बच्चन, सदस्य विधान सभा के विरूद्व गमछा, कमंडल एवं घंटी सदन में लाने और पटल पर रखने के संबंध में विशेषाधिकार भंग की सूचना दी गई थी। जिसे माननीय अध्यक्ष मध्यप्रदेश विधान सभा द्वारा सदन में दी गई व्यवस्था अनुसार **(परिशिष्ट – एक)** दिनांक 15 जुलाई, 2014 को जांच हेतु समिति को सौंपा गया था।

इस संबंध में तत्कालीन समिति **(परिशिष्ट – दो)** द्वारा संबद्ध पक्षों से लिखित स्पष्टीकरण प्राप्त किए गये एवं समिति ने बैठक दिनांक 17.07.2014, 22.07.2014, 20.08.2014, 03.09.2014, 22.09.2014, 07.10.2014, 28.10.2014 एवं 01.07.2015 में उन पर विचार किया।

वर्तमान समिति ने इस प्रकरण पर पुनर्विचार कर दिनांक 15.03.2016 को प्रारूप प्रतिवेदन पर विचार किया तथा इसे स्वीकार किया और माननीय सभापति को प्रतिवेदन माननीय अध्यक्ष को प्रस्तुत करने हेतु प्राधिकृत किया।

यह समिति इस प्रकरण में पूर्ववर्ती समिति द्वारा किए गए कार्य के लिए आभार व्यक्त करती है।

हस्ता./–

कैलाश चावला
सभापति,
विशेषाधिकार समिति

प्रकरण के तथ्य

डॉ. गौरीशंकर शेजवार, डॉ. नरोत्तम मिश्र, मंत्रीद्वय, मध्यप्रदेश शासन एवं श्री शंकरलाल तिवारी, सदस्य, म.प्र. विधान सभा द्वारा नियम–164 के अंतर्गत पृथक–पृथक दी गई विशेषाधिकार भंग की सूचनाओं में उल्लेख किया गया कि दिनांक 9 जुलाई, 2014 को जब सदन में अनुदान मांगों पर चर्चा चल रही थी तब श्री सत्यदेव कटारे, नेता प्रतिपक्ष ने भगवा तौलिया ओढ़कर सदन में प्रवेश किया। श्री बाला बच्चन, सदस्य ने कमंडल, घंटी और भगवा वस्त्र को सदन के पटल पर रखा। माननीय सभापति/उपाध्यक्ष महोदय द्वारा सदन में यह सब करने से मना किया गया।

श्री कटारे बिना अनुमति के सदन में ये वस्तुएं लेकर आए और उनका प्रदर्शन किया तथा श्री बाला बच्चन द्वारा बिना अनुमति उन्हें सदन के पटल पर रखा गया जो न केवल आपत्तिजनक है अपितु सदन के विशेषाधिकार को भी भंग करता है। अतः उनके विरूद्ध कार्यवाही की जाए। **(परिशिष्ट – तीन, चार एवं पांच)**

पत्राचार एवं स्पष्टीकरणात्मक टीप

उक्त प्रकरण के संबंध में श्री सत्यदेव कटारे, नेता प्रतिपक्ष एवं श्री बाला बच्चन, सदस्य, म.प्र. विधान सभा से स्पष्टीकरण प्राप्त करने हेतु पत्र भेजे गये।

श्री सत्यदेव कटारे, नेता प्रतिपक्ष ने अपने पत्र दिनांक 21.09.2014 में लेख किया कि उन्होंने वस्तुएं सदन के पटल पर नहीं रखीं। भगवा तौलिया ओढ़कर सदन में प्रवेश करने के संबंध में उन्होंने स्पष्ट किया कि इस सदन ही नहीं अपितु संसद और अन्य राज्य विधान मंडलों के सदनों में भी पक्ष–विपक्ष के सदस्य इस तरह से प्रदर्शन करते हैं और इसे विरोध के तरीके के रूप में ही मान्य किया गया है। कई बार सदस्य गर्भगृह में आते हैं, नारेबाजी करते हैं। हालाँकि

नियमों में ऐसा करना वर्जित है तथापि प्रदर्शन होते हैं किंतु इसे विशेषाधिकार भंग नहीं माना जाता। **(परिशिष्ट – छह)**

श्री सत्यदेव कटारे, नेता प्रतिपक्ष ने अपने एक अन्य पत्र दिनांक 28.10.2014 में लेख किया कि उनका उद्देश्य सदन अथवा सदन के किसी माननीय सदस्यों की भावना को आहत करने का नहीं था, फिर भी यदि सदन या किसी माननीय सदस्य की भावनाएं आहत हुई हैं, तो उन्हें खेद प्रकट करने में आपत्ति नहीं है। खेद प्रकट करने के उपरांत उनके द्वारा प्रकरण को समाप्त करने का अनुरोध भी पत्र में किया गया। **(परिशिष्ट – सात)**

श्री बाला बच्चन ने अपने पत्र दिनांक 16.09.2014 में उल्लिखित किया कि सदन की कार्यवाही से स्पष्ट है कि उनके द्वारा कोई भी वस्तु जो कि वांछित नहीं है सदन में लेकर प्रवेश नहीं किया गया। उक्त दिनांक को वे सदन में अपने प्रश्नों से संबंधित कुछ बिंदुओं का अध्ययन कर रहे थे तथा उन्हें अनुदान की मांगों पर बोलना था, इसलिए वे तथ्यों का परीक्षण अपनी सीट पर ही बैठकर कर रहे थे, संभवतः उसी समय किसी माननीय सदस्य ने उन्हें कोई छोटी–मोटी वस्तु दी जिसे उनके द्वारा बिना किसी दुर्भावना अथवा इरादे के बिना देखे वहीं उपस्थित किसी कर्मचारी को दे दिया, सदन के पटल पर नहीं रखा। उनके द्वारा यह भी लेख किया गया कि ऐसा कोई कार्य उनके द्वारा नहीं किया गया जिससे आसंदी का कोई असम्मान हो अथवा विशेषाधिकार भंग हो। **(परिशिष्ट – आठ)**

श्री बाला बच्चन ने अपने एक अन्य पत्र दिनांक 07.10.2014 में लेख किया कि उनका सदन की किसी कार्यवाही में बाधा उत्पन्न करना अथवा सदन की गरिमा को ठेस पहुँचाने का इरादा नहीं रहा, किंतु यदि समिति ऐसा महसूस करती है तो वह इसके लिए खेद व्यक्त करते हैं। **(परिशिष्ट – नौ)**

समिति की बैठक दिनांक 15.03.2016 में प्रारूप प्रतिवेदन पर विचार किया गया।